



## भारत में ई-फार्मेसी

फरवरी 2023 में [स्वास्थ्य मंत्रालय](#) ने कम-से-कम 20 कंपनियों को ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री करने के लिये कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notices) जारी किया, जिनमें [टाटा-1एमजी \(Tata-1mg\)](#), [फ्लिपकार्ट \(Flipkart\)](#), [अपोलो \(Apollo\)](#), [फार्म-ईजी \(PharmEasy\)](#), [अमेज़न \(Amazon\)](#) और [रलियांस नेटमेड्स \(Reliance Netmeds\)](#) शामिल हैं।

## भारत में ई-फार्मेसी की वर्तमान स्थिति क्या है?

### परिचय:

- भारत में [ई-फार्मेसी](#) का विकास हाल के वर्षों में महत्त्वपूर्ण रहा है और 2021-2027 के दौरान 21.28% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के सुदृढ़ विकास के साथ बढ़ने की संभावना है।
- इस वृद्धि के मुख्य कारणों में [इंटरनेट एवं स्मार्टफोन की बढ़ती पैठ](#), [स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत](#) तथा [सुविधा और पहुँच](#) की बढ़ती मांग शामिल हैं।

### ई-फार्मेसी का विकास:

- [कोविड-19](#) के दौरान दवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी की आवश्यकता महसूस की गई थी। लॉकडाउन के दौरान लगभग 8.8 मिलियन परिवारों ने होम डिलीवरी सेवाओं का उपयोग किया।
  - [ई-फार्मेसी खुद को डोरस्टेप डिलीवरी का सूत्रधार बताती है](#) और वेंडिंग दवाओं के लिये खुदरा केमिस्ट्स के साथ ताल-मेल का दावा करती है।

### चिंता:

- दवाओं की गुणवत्ता पर प्रभाव:**
  - [लाइसेंस के बिना ऑनलाइन, इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्मों के माध्यम से दवाओं, स्टॉक की बिक्री या वितरण की पेशकश](#) का दवाओं की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है और यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये जोखिम उत्पन्न कर सकता है।
  - बिना चिकित्सक के परामर्श के दवाओं के [अंधाधुंध उपयोग से दवाओं के दुरुपयोग](#) की स्थिति उत्पन्न होती है।
- कोई वैधानिक समर्थन नहीं:**
  - [औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940](#) भारत में औषधियों के आयात, निर्माण और वितरण को नियंत्रित करता है।
  - हालाँकि [औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940](#) अथवा [औषधि अधिनियम, 1948](#) के तहत "ई-फार्मेसी" की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं प्रदान की गई है।

### ई-फार्मेसी का वनियमन:

- [मसौदा ई-फार्मेसी नियम वर्ष 2018](#) में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था।
  - [मुंबई, मद्रास, दिल्ली और पटना उच्च न्यायालय सहित कई न्यायालयी](#) आदेशों में ई-फार्मेसी को वनियमित करने का आह्वान किया गया है।
- जून 2022 में जारी 172वीं [संसदीय स्थायी समिति](#) की [रिपोर्ट](#) ने ई-फार्मेसी नियमों को अधिसूचित नहीं किये जाने के विषय में चिंता जताई।

## नषिकर्ष:

एक समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु [ई-फार्मेसी व्यवसायों और ऑफलाइन फार्मासिस्टों के हितों को लेकर संतुलन स्थापित](#) किया जाना चाहिये। [हाइब्रिडाइज़्ड इकोसिस्टम](#) में सभी की नगिहें स्वास्थ्य मंत्रालय पर हैं, [जैसे ड्रग स्पेस यानी दवा क्षेत्र में ई-कॉमर्स के नए तरीके को प्रभावी ढंग से वनियमित करना होगा](#)।

## स्रोत: द हट्टि

